Ph./Fax-05942-220029

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निमार्ण विभाग, भवाली (नैनीताल)

UTTARAKHAND

eepwdbhowali@rediffmail.com

पत्रांक 93 / 8 ल0नि0 दिनांक 19-1-2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय वन विभाग
इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **जनपद नैनीताल में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नदगल गॉव को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 1.33 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/19460/2016)**

सन्दर्भः– आपका EDS दिनांक 30.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में EDS दिनांक 30.12.2016 के द्वारा प्राप्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण का निम्नवत् प्रेषित है।

क्र0 सं0	बिन्दु	उत्तरालेख
1	Digital map of C.A. on SOI Toposheet not provided.	Digital map of C.A. on SOI toposheet अपलोड कर दी गयी है।
2	The digitized toposheet has not been uploaded in serial C-iii.	Digitized toposheet फार्म A SL No C-iii में अपलोड कर दी गयी है।
3	Please uploaded proper and detailed justification for the proposed project in forest in forest area.	प्रस्तावित मार्ग हेतु वन भूमि का मॉग औचित्य पुनः अपलोड कर दिया गया है।
4	Please upload complete fRA documents along with annexures mentioned in the certificate at serial K of form A	Complete F.R.A. documents मय संलग्नकों के फार्म A के SL No K में अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय,

(ई0 हिम्मत सिंह रावत)
प्रभारी अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
भवाली (नैनीताल)

19/01/017

Scanned by CamScanner

(मुख्य मंत्री सड़क संयोजकता के अन्तर्गत)

डिजिटल मैप- नदगसगॉव को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल–कांडा

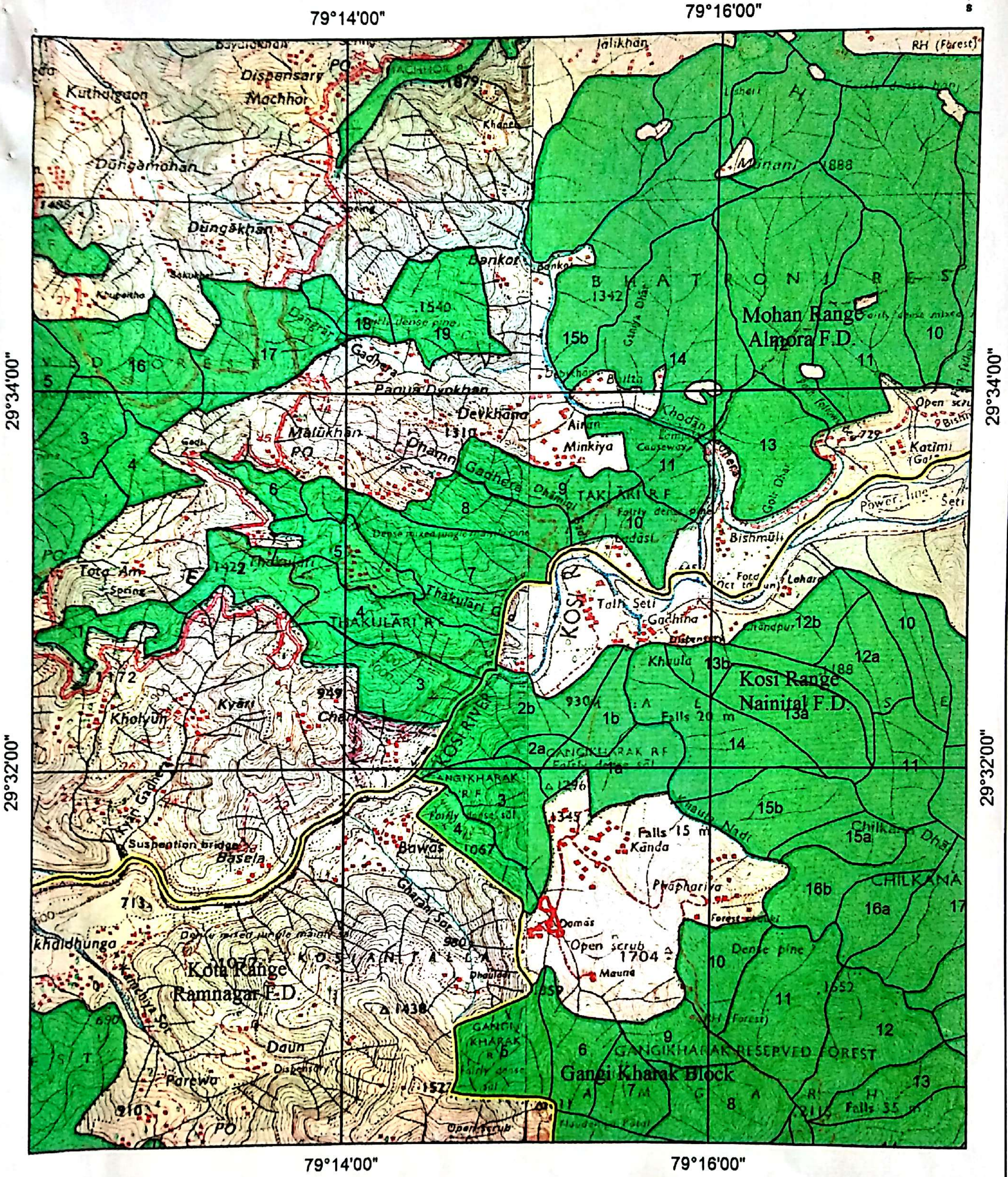

Legend

- Proposed_Plantation
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Range_Boundary
- Division_Boundary

ScaleBar

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0

km

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०
भवाली (नैनीताल)

अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०
भवाली (नैनीताल)

बिन्दु सं०-05

अनिवार्य संलग्नक- 1.3, 1.2

डिजिटल मैप– जनपद नैनीताल में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजक्ता के अन्तर्गत नदगल गॉव को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।

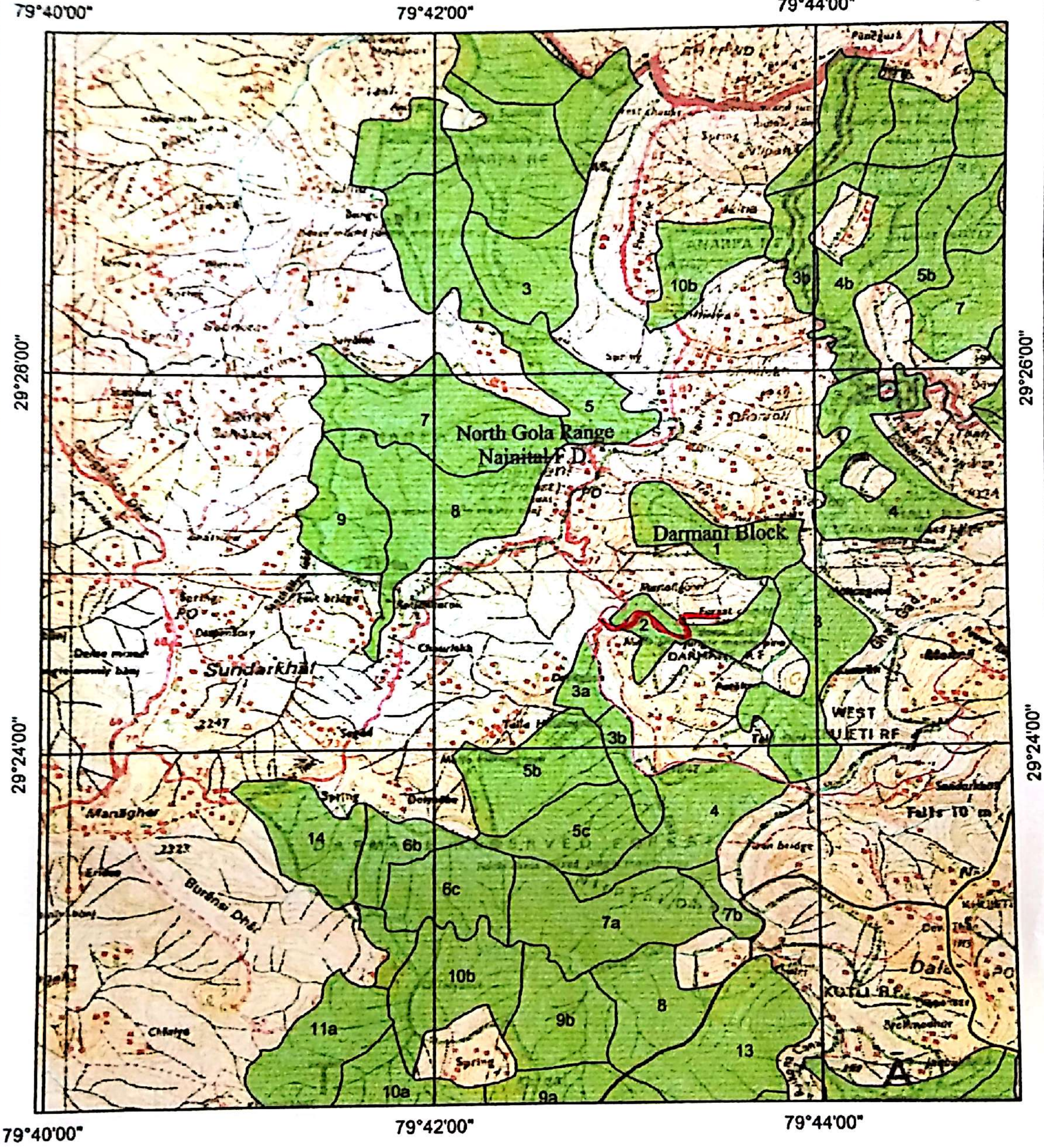

Legend

- proposed_Road
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Range_Boundary
- Division_Boundary

ScaleBar

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0

km

J.E.

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०
पवाली (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
पवाली (नैनीताल)

वन क्षेत्राधिकारी
उत्तरी गोला वन क्षेत्र
नैनीताल।

वन दरोगा
पहाड़पानी अनुभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी (मु०)
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल.

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–11

अनिवार्य संलग्नक 1.5

कार्य का नामः–जिला नैनीताल में मुख्य मंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत नदगल गॉव को जोडने हेतु मोटर मार्ग निर्माण (2.500 कि0मी0)।

प्रस्तावित काय हेतु वन भूमि की मॉग का औचित्यः– उपरोक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद नैनीताल के सुदुरवर्ती एवं पिछड़े विकास खण्ड धारी के अन्तर्गत पड़ता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से सुदुरवर्ती नदगल के 60 परिवारों की लगभग 360जनसंख्या एवं दीनी ग्राम के 40 परिवारों की 240 जनसंख्या अर्थात् अन्य ग्रामों को जोड़ते हुए कुल 1600 जनसंख्या लाभान्वित होती है।

उक्त मोटर मार्ग के बनने से स्थानीय जनता को यातायात, शिक्षा, चिकित्सा एवं कृषि कारोबार में विशेष सुविधा प्राप्त होगी तथा क्षेत्र के आर्थिक विकास एवं पर्यटन व्यवसाय को भी बल मिलेगा। क्षेत्र के विकास एवं स्थानीय जनता की मॉग के अनुसार उक्त मार्ग की नितान्त आवश्यकता है।

प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु विस्तृत रूप से क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया तथा तकनीकी दृष्टिकोण से क्षेत्र का उचित, मितव्ययी तथा कम से कम वन भूमि प्रभावित हो उक्त के दृष्टिगत संरेखन चयनित किया गया जिसमें 1.33 हे0 वन भूमि प्रभवित होती है। अतः 1.33 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 के पक्ष में हस्तान्तरण (मॉग) औचित्यपूर्ण है।

कनिष्ठ अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, भवाली	सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, भवाली	अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 भवाली

Scanned by CamScanner

विन्दु सं०-07

Form – 1

Government of Uttrakhand

Office of the District Collector: Nainital

अनिवार्य संलग्नक 116

No ---01/Rwo.

Date ---7/5/2018

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and Forest (MOEF) Government of india`s letter no, 11-9/98-EC(pt) dated 3rd august 2009 wherein MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional forest dwellers (recognition of forest rights) Act 2006 ('FRA', for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's letters dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **1.33 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Ty. Div. P.W.D. BHOWALI UTTARAKHAND for Construction of Motor Road Connecting to Nadgal Village under C.M. Village connectivity Scheme in Nainital District falls within Jurisdiction of Nadgal Village in Dhari Tehsil.**

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **1.33 hectares** of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights committee(s) gram sabha(s) sub division level committee(s) and district level committee are enclosed as annexure 1 to ....annexure.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabha's have been given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.

Encl: As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल.

Signature

(Full name of the official seal of the District collector)

जिलाधिकारी
नैनीताल.

Scanned by CamScanner

It is further certified that

S.No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **1.33 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations ad meetings of the Forest Rights committees (s) and the District level Committee are enclosed as annexure 1 to ....annexure.	Not applicable as there are no habitats' belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabha's have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl: As above

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
नैनीताल.

[illegible]
नैनीताल.

Scanned by CamScanner

1.6

ANNEXURE-1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT NAINITAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Deepak Rawat I.A.S.** Deputy Commissioner. Nainital on date 7/5/2016 at time 2.00 PM. at Nainital in Which application claiming rights of national area measuring **1.33 hect.** for . **Construction of Motor Road Connecting to Nadgal Village under C.M. Village connectivity Scheme in Nainital District Uttarakhand.** Forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bhimtal sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Nainital

जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

Dated:

Deputy Commissioner-cum-Chairmen
District Level Committee.
जिलाधिकारी
नैनीताल.

Scanned by CamScanner

1.8

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम–

कार्यालय उप जिलाधिकारी,
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति..................... उपखण्ड .... परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत ....(.........हे0 आरक्षित वन भूमि 1.33 हे0 सिविल एवं सोयम वनभूमि, वन पंचायत भूमि.........हे0 अर्थात कुल 1.33 हे0 वन भूमि) का .... प्रयोक्त एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति(तहसील............) की दिनांक.............को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री............... ....उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री...................उपजिलाधिकारी.......................................अध्यक्ष
2. श्री...................उप प्रभागीय वनाधिकारी.......नैनीताल.............सदस्य
3. श्री...................सहायक समाज कल्याण अधिकारी,..............सदस्य/सचिव
4. श्री...................बी.डी.सी क्षेत्र..............................सदस्य

खण्ड विकास अधिकारी
ब्लाक धारी
जिला- नैनीताल (उत्तराखण्ड)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत...1.33 हे0..........हे0 वन भूमि.......................................प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वनभूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण के उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत.. ....

क्रमशः 2पर

Scanned by CamScanner

1.6

परियोजना के निर्माण हेतु [illegible] हे0 वनभूमि [illegible] प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

[illegible] 11/12/2019

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील— धारी
जनपद— नैनीताल

प्रतिलिपि— जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील— धारी
जनपद— नैनीताल।

Scanned by CamScanner

116

प्रपत्र–23

...... का नाम –

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम सभा का नाम – महतोलियागांव रौंसाल ग्रामसभा – नदगांव –

तहसील नैनीताल जिला नैनीताल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत [illegible] मोटर मार्ग के निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.33 है0 आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि.........है0, वन पंचायत भूमि ..... है0) अर्थात कुल 1.33 ...है0 वन भूमि का [illegible] ....विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत महतोलियागांव द्वारा दिनांक 11.11.15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम महतोलियागांव ...के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 1.33 है0 प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

(महतोलियागांव)

ह0 / [signature]

सचिव [illegible]

(महतोलियागांव)

प्रधान,

ग्राम पंचायत महतोलिया गांव

विकासखण्ड, भारी (नैनीताल)

ग्राम प्रधान

नोट– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 11.12.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...... महतोलियागांव - रामगंगा नदगाल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	नन्दकिशोर	नन्दकिशोर
2	राजेन्द्र जोशी	राजेन्द्र जोशी
3	जगदीश चन्द्र जोशी	जगदीश चन्द्र जोशी
4	वेद प्रकाश	वेद प्रकाश
5	रमेश चन्द्र	रमेश चन्द्र
6	केशवदत्त जोशी	केशवदत्त जोशी
7	मदन जोशी / दिनेश जोशी	[illegible]
8		[illegible]
9	पूर्णीदत्त	पूर्णीदत्त
10		
11	वेद प्रकाश	वेद प्रकाश
12	गोपेश चन्द्र	[illegible]
13	नरेश चन्द्र	नरेश चन्द्र
14	हेम चन्द्र	हेम चन्द्र जोशी
15	तारादत्त	तारा दत्त
	केशवचन्द्र	केशव चन्द्र
	मनोज जोशी	[illegible]
	प्रकाश जोशी	[illegible]
	प्रेमबल्लभ जोशी	[illegible]
	उमादत्त	[illegible]
	देवेन्द्र जोशी	देवेन्द्र जोशी
	महेश जोशी	[illegible]
	भैरवदत्त	[illegible]
	दीपचन्द्र जोशी	[illegible]
	हरीश चन्द्र जोशी	[illegible]

मुन्नी देवी
प्रधान,
ग्राम पंचायत महतोलिया गांव
विकास खण्ड, धारी (नैनीताल)

महतोलियागांव